न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 60/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2021/158

उनवान

1. दिमान सिंह पुत्र हेत सिंह उम्र करीब 55 वर्ष
2. सोनू पुत्र संतोषी उम्र करीब 26 वर्ष
3. सोरन सिंह पुत्र संतोषी उम्र करीब 29 वर्ष
4. जीवेन्द्र पुत्र संतोषी उम्र करीब 35 वर्ष
5. राजकुमारी पुत्री संतोषी उम्र करीब 36 वर्ष
6. सविता पुत्री संतोषी उम्र करीब 40 वर्ष
7. फुलवा देवी पुत्री संतोषी उम्र करीब 30 वर्ष
8. ओमवती वेवा संतोषी उम्र करीब 58 वर्ष

} समस्त जाति जाटव निवासीगण ग्राम गौहदूपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री हेत सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम गौहदूपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
2. राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार राजाखेडा व हैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दि0 14.09.20 मि.नं. 51/18 उनवानी मुकेश बनाम संतोषी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सत्यप्रकाश कौशिक उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।

निर्णय दिनांक–23.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम गौहदूपुरा तहसील राजाखेडा में स्थित है जो वादी एवं

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादीगण की संयुक्त पुश्तैनी आराजी है एवं वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विवादित आराजीयात पर मनवट के आधार पर काविज काश्त हैं। परन्तु विवादित आराजी का अभी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य फसल को लेकर आये दिन झगडा हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से डिक्री हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी सम्मन की तामील अपीलाण्ट पर नहीं हुयी। जबकि अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट के अभिभाषक की सहमति दर्ज कर रखी है, जो गलत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव तलव करते समय भी अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी एवं ना ही वह मौके पर गये। विभाजन प्रस्तावो में भी अपीलाण्ट की सहमति गलत रूप से दर्शा रखी है। यह है कि प्रकरण में एक पक्षकार संतोषी दौराने दावा प्राथमिक डिक्री से पूर्व फौत हो गया था परन्तु उनके वारिसो का रिकार्ड पर लेने की काई कार्यवाही रैस्पो0 द्वारा नहीं की गयी। सम्पूर्ण सडक़ की भूमि रैस्पो0 को दे दी गयी है। वकील की उपस्थिति एवं सहमति दर्शा रखी है। जबकि अपीलाण्ट की ओर से कोई अभिभाषक नियुक्त ही नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिका दिनांक 24.09.2018 को दीमान सिंह व मृतक संतोषी स्वयं उपस्थित हैं एवं उनके अंगूठा निशानी अंकित हो रहे हैं। उसके बाद वह उपस्थित नहीं हुये, अतः उनके विरूद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही हुयी। प्राथमिक डिक्री की कोई अपील अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गयी है। यदि विभाजन प्रस्तावो से कोई आपत्ति थी तो प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। दीमान सिंह एवं संतोषी को दोनो साथ रहते हैं अतः दोनों को एक हिस्सा दे दिया गया। विभाजन प्रस्तावो में अपीलाण्ट को वह ही हिस्सा दिया गया है जिस जगह उनका मकान बना हुआ है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

दावा करने से पूर्व अपीलाण्ट का मकान बना हुआ है अतः जिससे स्पष्ट है कि पूर्व में विवादित आराजी का मनवट हो रखा था। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2004(2) पेज 1016 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट प्रतिवादी दिमान सिंह एवं संतोषी का पिता हेत सिंह पेशी दिनांक 24.09.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुये हैं एवं उनके अंगूठा निशानी आदेशिका पर हो रहे हैं। परन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया एवं ना ही पत्रावली पर कोई वकालतनामा ही उपलब्ध है, तो अधीनस्थ न्यायालय आदेशिका दिनांक 14.09.2020 को किस प्रकार उभयपक्ष की उपस्थिति एवं दोनों अभिभाषकगणो द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करना अंकित कर सकते हैं। कार्यवाही प्रथम दृष्टया संदेहप्रद है। इसके अलावा दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या एक संतोषी का दौराने दावा निधन होना कथन करते हैं। परन्तु वादी रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उनके विधिक वारिसो को रिकार्ड पर नहीं लिया। जबकि प्रतिवादी संख्या एक संतोषी वादी रैस्पो0 का खास भाई था। इस प्रकार डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने के तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2020 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 12.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर